राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग

क्रमांक [illegible] 2(2)प्रारं./आयो./2003 जयपुर, दिनांक 30-08-2012

आज्ञा

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-21 के प्रावधानानुसार राज्य के समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त (अनुदानित) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे "विद्यालय प्रबन्धन समिति" (स्कूल मैनेजमेण्ट कमेटी) के गठन हेतु इस विभाग से समसंख्यक पत्र दिनांक 21.04.2010 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये है।

जारी दिशा-निर्देशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

<u>बिन्दु संख्या 11 समिति की कार्यकारिणी समिति :-</u>

11.7 *समिति के माता-पिता या संरक्षक सदस्यों द्वारा मनोनीत स्थानीय शिक्षा शास्त्री अथवा विद्यालय का बालक।*

<u>संशोधन उपरान्त पढ़ा जावे :-</u>

समिति के माता-पिता या संरक्षक सदस्यों द्वारा मनोनीत स्थानीय शिक्षा शास्त्री अथवा विद्यालय का बालक। मनोनयन में विद्यालय परिक्षेत्र के निवासी राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को प्राथमिकता दी जावे।

प्रमुख शासन सचिव
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः-शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई/एस.एम.सी/18875/11-12/295 दिनांकः-12/9/12

प्रतिलिपिः-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः-

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीया शिक्षा राज्यमत्री महोदया राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर।
4. आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. सचिव पंचायती राज विभाग जयपुर।
6. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
7. निजी सचिव, सचिव राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जयपुर।
8. निदेशक एस.आई.ई.आर.टी उदयपुर।
9. समस्त उप निदेशक /जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है,कि अपने अधिनस्थ कार्यालयों को भेजकर पालना सुनिश्चित करावें।
10. सम्पादक शिविरा पत्रिका-7 प्रतियों में।

उप निदेशक